अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय।

क्रिमिनल अपील संख्या : 11 / 2026(Vaishali P.S. Case no. 831/2025)

धारा 103(1), 62(2), 3(5) बी.एन.एस.

निर्णय

23.04.2026

प्रस्तुत क्रिमिनल अपील, किशोर के अभिभावक द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के दिनांक–27.02.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड ने इस विधि विरूद्ध किशोर के जमानत के आवेदन को अस्वीकृत किया है।

सूचक रंजीत कुमार द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष वैशाली को इस आशय का दिया गया कि "कल दिनांक 20.11.2025 को समय करीब 07:30 बजे संध्या मे मेरा पुत्र हिमांशु कुमार दुकान बंद कर अपने बगल के साथी प्रिंस कुमार पिता–हरिमोहन राय उर्फ भोला के कहने पर मोटरसाईकिल से इब्राहिम पुर के तरफ गया। करीब 40–45 मिनट के बाद पता चला कि मेरे पुत्र हिमांशु कुमार को 8 से 10 व्यक्ति द्वारा मारपीट कर रड, लाठी, डंडा से बुरी तरह जख्मी कर सड़क किनारे फेक दिया गया है जिसे लोगो के द्वारा ईलाज हेतु ले जाने के दौरान रास्ते मे ही हो गयी। जब मै अस्पताल गया तो बेटा को मृत पाया। मुझे पता चला कि मेरे पुत्र हिमाशु कुमार का झगड़ा झंझट एक सप्ताह पूर्व उसके साथी आकांशु कुमार पिता–अजीत कुशवाहा के साथ हुआ था जिसमे आकांशु कुमार द्वारा धमकी दिया गया था कि इसका बदला मै अपने दोस्तो के साथ मिलकर ले लुगॉ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साजिस के तहत जयप्रकाश राय व ओमप्रकाश राय दोनो पिता जयमंगल राय, गोलु कुमार पिता मोहन पासवान, गोलु कुमार पिता अनिल सिंह, बिट्टु कुमार पिता ललन पासवान, राहुल कुमार पिता नन्की पासवान, प्रिंस कुमार पिता पुनम कुशवाहा एवं प्रिंस कुमार पिता हरिमोहन राय द्वारा मेरे पुत्र की हत्या कर फेक दिया गया है।"

विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख रूप से तर्क है कि किशोर द्वारा इस न्यायालय मे अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे इससे पूर्व कोई आवेदन दाखिल नही किया गया है। किशोर का जमानत आवेदन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक–27.02.2026 को खारिज किया गया है। किशोर दिनांक 22.11.2025 से पर्यवेक्षणगृह मे संसीमित है। किशोर निर्दोष है। किशोर का कोई अपराधिक इतिहास नही है। किशोर प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है किंतु किशोर के नाम का ही दुसरा किशोर नामजद है अभिभावक द्वारा इस संदर्भ मे शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। विद्वान अधिवक्ता

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय।

क्रिमिनल अपील संख्या : 11 / 2026(Vaishali P.S. Case no. 831/2025)

अनुरोध करते हैं कि किशोर न्याय बोर्ड के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.02.2026 को निरस्त करते हुए किशोर को जमानत की सुविधा दी जाय किशोर के अभिभावक उसकी उचित अभिरक्षा लेने मे तथा समुचित बंधपत्र दाखिल करने मे सक्षम है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत दिये जाने का विरोध करते हैं तथा कथन करते है कि किशोर एक गंभीर प्रकृति के वाद मे संलिप्त है। जमानत पर मुक्त करने से इसके अन्य अपराधिक प्रकृति के लोगो के संसर्ग मे आने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा विधि विरूद्ध किशोर की ओर से दाखिल अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

Web Copy not Official

प्रस्तुत दाखिल क्रिमिनल अपील मे उभय पक्षो को सुना। किशोर के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख एवं प्रथम तर्क यह है कि किशोर प्राथमिकी मे नामजद नही है क्योकि उसके पिता का नाम पुनम कुशवाहा नही है, इस संबंध मे केस डायरी के कंडिका 61 मे स्पष्ट रूप से किशोर के पिता का नाम पुनम कुशवाहा उर्फ उमेश सिंह आया है तथा किशोर के मोबाईल का लोकेशन भी घटना स्थल पर पाये जाने की बात केस डायरी के कंडिका 58 मे आयी है और उसमे भी पिता का नाम पुनम कुशवाहा उर्फ उमेश सिंह आया है। अतः विद्वान अधिवक्ता का यह कथन सत्य प्रतीत नही होता है कि पुनम कुशवाहा किशोर के पिता का नाम नही है। यद्यपि कि अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत से इंकार करने का एक मात्र आधार नही हो सकता है परंतु किशोर न्याय बोर्ड, वैशाली ने किशोर के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किये जाते समय स्पष्ट रूप से अपने आदेश के कंडिका 5 मे वर्णित किया है कि किशोर के द्वारा ही मृतक को बुलाकर ले जाया गया था। किशोर न्याय बोर्ड, वैशाली द्वारा यह भी अपने आदेश मे वर्णित किया गया है कि किशोर को पुरे घटना क्रम की और अन्य अपराधीगण के बारे मे पुरी तरह से जानकारी थी और उनलोगो से किशोर की मित्रता भी थी। अतः किशोर को उनही अपराधिक व्यक्तियो से बचाने के लिए किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को जमानत देने से इंकार किया था और यह कही से भी अविधि संगत नही है। सामाजिक जॉच रिपोर्ट मे भी स्वयं किशोर की मॉ ने स्वीकार किया है कि मृतक किशोर के साथ ही गया था साथ ही किशोर की माता ने सामाजिक जॉच रिपोर्ट के परिणाम के कंडिका 8 मे स्वीकार की है कि मृतक हिमांशु कुमार गलत संगति मे था फिर भी किशोर की मित्रता उसके साथ थी यहां पर भी संरक्षक स्वयं स्वीकार कर रहे है कि किशोर अपराधिक लोगो के संगति मे था। अतः ऐसी परिस्थिति मे यह नही कहा जा सकता कि किशोर न्याय बोर्ड, वैशाली

अंतर्गत न्यायालयःजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय।

क्रिमिनल अपील संख्या : 11 / 2026(Vaishali P.S. Case no. 831/2025)

के आदेश मे कोई अवैधता थी जिससे कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्कता प्रतीत हो। इसलिए अपराधिक अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	23-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	23-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar